

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 9, शुक्रवार, शके 1934- अगस्त 31, 2012 <i>Bhadra 9, Friday, Saka 1934- August 31, 2012</i>	

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें ।

स्कूल शिक्षा विभाग

प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग

अधिसूचना

जायपुर, अगस्त 29, 2012

संख्या एफ. 7(1) ईई/ प्लान/2011 :- महामहिम राज्यपाल, राजस्थान द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित निर्देश जनसाधारण की सूचना के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, अर्थात् :-
निर्देश

भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा (1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं, श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा, राज्यपाल, राजस्थान इसके द्वारा निर्देश देती हूँ कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) का धारा 23 के उप-धारा (1) अनुसूचित क्षेत्रों पर इस उपान्तरण के साथ लागू होगी कि उप धारा का अनुसूचित जनजातों का कोई भी व्यक्ति अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा यदि उसने उस उप-धारा के अधीन अधिकारित अर्हता परीक्षा में न्यूनतम 36% अंक अभिप्राप्त किये हैं।

मार्ग्रेट आल्वा,
राज्यपाल, राजस्थान।

सचिव, शिक्षा
शासन एवं संस्कृति

**SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
ELEMENTARY EDUCATION (PLAN) SECTION
NOTIFICATION**

Jaipur, August 29, 2012

No. F. 7(1)EE/Plan/2011.- The following direction issued by Her Excellency, the Governor of Rajasthan, is hereby published for information of general public, namely:-

DIRECTION

In exercise of powers conferred under sub-paragraph (1) of Paragraph 5 of Fifth Schedule to the Constitution of India, I, Smt. Margret Alva, Governor of Rajasthan, hereby direct that sub-section (1) of section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act No. 35 of 2009) shall apply to the Scheduled Areas with the modification that any person belonging to Scheduled Tribe of that Area shall be eligible for appointment as a teacher, if he has obtained minimum 36% marks in the qualifying examination laid down under that sub-section.

मार्ग्रेट आल्वा,
Governor of Rajasthan

अर सी. टिक्पाल,
Deputy Secretary to the Government